आदेश या कार्यवाही की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

(13)

न्यायालय उप समाहर्त्ता, भू0सु0 सदर मेदिनीनगर।

भू–हदबंदी वाद सं0–06/2016–17

देववंश चौबे — आवेदक।

बनाम

संजय कुमार चौबे वगै0 -- विपक्षी।

आदेश

अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक/प्रियम्पटर ने निबंधित केवाला सं0–2446 दिनांक 09.06.2016 के माध्यम से विपक्षी संजय कुमार चौबे के पक्ष में बिक्री की गयी ग्राम रजवाडीह थाना सदर मेदिनीनगर पलामू के खाता नं0–33 प्लौट नं0–138 रकबा $0.36\frac{7}{10}$ एकड़ भूमि के विरूद्ध अग्रक्रय का अधिकार का दावा करते हुए वाद दायर किया जिसे दिनांक 19.05.2017 को इस न्यायालय द्वारा स्वीकृत कर विपक्षी को केवाला निबंधित करने हेतु आदेश दिया गया। विपक्षी ने माननीय उपायुक्त पलामू के न्यायालय में भू–हदबंदी अपील वाद सं0–XV/02/2017–18 दायर किया। जो दिनांक 28.08.2018 को खारीज हो गया तथा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश सम्पुष्ट हो गया। विपक्षी ने माननीय सदस्य राजस्व पर्षद झारखण्ड रांची के न्यायालय में रीवीजन वाद सं0–21/2018 दायर किया जो उपायुक्त, पलामू को प्रश्नगत् भूमि की जांच कर नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु रिमांड हो गया। उपायुक्त पलामू द्वारा पुनः जांच कराने के बाद दिनांक 07.01.2022 को आवेदक देववंश चौबे के पक्ष में आदेश दिया गया। विपक्षी ने पुनः माननीय सदस्य राजस्व पर्षद झारखण्ड रांची के न्यायालय में रीवीजन दायर किया जिसे माननीय सदस्य राजस्व पर्षद द्वारा खारीज कर दिया गया। माननीय राजस्व पर्षद झारखण्ड रांची द्वारा आवेदक के पक्ष में आदेश सम्पुष्ट हो जाने के बाद विपक्षी को आवेदक के पक्ष में प्रश्नगत् भूमि का केवाला निबंधित कर देने हेतु दिनांक 30.12.2022 को निबंधित डाक से सूचना निर्गत की गयी किन्तु विपक्षी ने केवाला निबंधित नहीं कर माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश लाने हेतु 15 दिनों का समय का मांग किया जिसे स्वीकृत किया गया किन्तु विपक्षी ने दिनांक 07.02.2022 तक माननीय न्यायालय का कोई न्यायदेश दाखिल नहीं किया और न आवेदक के पक्ष में केवाला ही निष्पादित किया। 15 दिन की अवधि समाप्त हो गया है। आवेदक ने न्यायालय द्वारा विपक्षी की ओर से प्रश्नगत् भूमि का केवाला निष्पादित करने हेतु आवेदन दिया है। ऐसी स्थिति में विपक्षी संजय कुमार चौबे की ओर से आवेदक देववंश चौबे के पक्ष में प्रश्नगत् भूमि का अवर निबंधन कार्यालय में केवाला निष्पादित करने हेतु परवेज आलम, कार्यालय सहायक उप समाहर्ता, भूमि सुधार, सदर मेदिनीनग को प्राधिकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

[signature] 7.2.23

उप समाहर्त्ता, भू0सु0
सदर मेदिनीनगर।

[signature] 7.2.23

उप समाहर्त्ता, भू0सु0
सदर मेदिनीनगर।

ज्ञापांक 219 दि0 – 2.3.23

प्रतिलिपि जिला अवर निबंधक डालटनगंज पलामू को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप समाहर्त्ता

क्रमांक– D 0995

Digitally signed by Ryare Lal
Date: 2024.07.23 05:35:58 -07:00
Location: 192.168.254.181